# प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण का आवेदन—पत्र (आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्रामसेवक / टैग अधिकारी / ई—मित्र आदि के माध्यम से)

पंचायत समिति ..... ग्राम पंचायत.....

प्रार्थी का वर्ग (अनु जाति / अनु जन जाति / अल्पसंख्यक / ओबीसी / अन्य) ..... (परिवार की महिला मखिया के नाम से आवास स्वीकृत किया जावें।)

	PMAY(G)	<b>y</b>	आवेदक का फोटो आवेदक द्वारा प्रमाणित
	(पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक दिनांक	क्र.सं	के क्रम में)
	पात्रता :— SECC-2011 के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची, जिन्होने पूर्व में किसी प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है।	भी योजनार्न्तगत आवास	
1.	आवेदक का नाम— श्री / श्रीमती / सुश्री		
2.	पति / पिता का नाम		
3.	SECC-2011 की वरीयता सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नामआवेदक	का परिवार के मुखिया	से सम्बन्ध
4.	(ए) SECC-2011 में आवेदक का TIN No	(सी) जॉ	बकार्ड नं
5.	आवेदक का SECC-2011 के अनुसार वरीयता क्रमांक		
6. 7.	आवेदक (यदि दिव्यांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
8.	पूर्ण पता (मोहल्ला / ढाणी / मगरा) ग्राम पोस्ट पं.स.	जिला	
9.	प्रार्थी का मोबाइल नं स्वयं का मो. न. नहीं होने पर पडौसी / रिश्तेदार	का मोबाइल नं	
10.	पटटा धारक का परा नाम		
11.		निर्माण स्थल की भूमि	(कृषि भूमि/आबादी
12.	प्रस्तावित जमीन – चारागाह / जोहड पायतान / राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं		
13.	सीबीएस आधारित बैंक का खाता संख्या शाखाशाखाआईएफएससी को		। फोटो प्रति संलग्न करें)
14.	में / मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त न	हीं की है, व <sup>े</sup> वर्तमान में	पक्का मकान नहीं है
	एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं है :-		
	1) मोटर साईकिल दुपहिया / तिपहिया / चौपहिया वाहन / मच्छली नाव	– नहीं है।	
	<ol> <li>मेकेनाईज्ड तिपिहेया / चौपिहिया वाहन कृषि उपकरण</li> </ol>	– नहीं है।	
	3) किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक का	– नहीं है।	
	4) परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी	– नहीं है।	
	5) परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत	– नहीं है।	
	6) परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह	– नहीं है।	J
	7) इन्कमटैक्स	– नहीं देता —ः >—	
	8) व्यावसायिक कर	– नहीं देता – नहीं है।	हू।
	9) स्वयं का रेफिजरेटर 10) स्वयं का लेण्डलाईन फोन	— नहा ह। — नहीं है।	
	10) स्वयं को लण्डलाइन फान 11) स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण	– नहां है। – नहीं है।	
	11) स्पर्य 2.5 एकड या आधक सिचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम	– नहीं है।	
	13) मालिक 7.5 एकड भूमि या अधिक, एक सिचाई उपकरण के साथ	– नहीं है।	
	14) किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई		है अथवा कोई पक्का
	, मकान आवंटन		•
15.	सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर	प्लिंथ क्षेत्र का नवीन	पक्का आवास निर्माण
	अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्व हूँ। आवासीय अनुदान सहायत	ग से अधिक होने वाले	व्यय की व्यवस्था मैं
	अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।		
संल	ग्न :- (1.) सीबीएस बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)		
	(2.) प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित) (3.) नरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)। (स्वयं द्वारा सत्यापित)		
	(4.) दिव्यांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)		<b>\</b>
			के हस्ताक्षर
	ما من المنظمة ا	(नाम	)
त्तम्पूण अ	विदन ग्रामसेवक / ई—मित्र / टैग अधिकारी / पंचायत समिति को प्रस्तुत करने का दिनांक		
श्री / शीग	—ः प्राप्ति रसीद ::- ती / सथी	मा मं	का मध्यचगंकी
আনাম স	ती / सुश्री पुत्री / पुत्र / पत्नी श्री ोजना—ग्रामीण हेतु आवेदन (प्रपत्र—1) मय फोटो एवं सलंग्न विवरण दिनांक को प्र	त्रा.त। एव किया।	प्राघमा
-11-11 Y	אווא בין אווא ווא דון אווא וויי וווא ווייי אווא אוויא ווייי אווא אווייי אוויא וויייי אוויא וויייי אוויא וויייי	1 21 13/31	

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

नोट :- उक्त आवेदन पत्र CSC/E-Mitra केन्द्र, टैग अधिकारी, कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा कार्यालय पंचायत समिति में से किसी भी एक जगह जमा कराया जा सकेगा। शिकायत/समस्या हेतु पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय मोबाइल नम्बर 9116057308 पर Whatsapp/SMS/phone करें।

### केवल कार्यालय उपयोग हेतु

प्रपत्र—24(1/2) (प्रपत्र —1(ब) नवीन आवास हेतु स्वीकृति)

ग्राम सेवक अथवा आवास हेतु नियुक्त टैग अधिकारी (पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी, एईएन, जेईएन, जेटीए, ग्राम रोजगार सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी) द्वारा आवास स्वीकृति हेतु प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/सुश्री ......पत्नी/पिता/पुत्री ......वर्ग (अनु.

जाति/अनु.जन जाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य)	. SECC-2011 वरीयता सूची TIN NOका नाम SECC-					
2011 वरीयता सूची क्रमांक पर द	र्ज है। सीबीएस आधारित बैंक खाता संख्या					
. (बैंक) भाखा में है	। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक					
तक आवेदक का कोई पक्का आवास नहीं है। पूर्व में किसी भी राज्य / केन्द्र  प्रवर्तित योजना में आवास हेतु अनुदान						
सहायता प्राप्त नहीं की है साथ ही बिन्दु संख्या 14 में अंकित समस्त शर्तों का सत्यापन कर लिया गया है। प्रार्थी						
प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण हेतु पात्र हैं। आवेदन मय फोटो एवं सलंग्न दस्तावेजों की एक—एक फोटो प्रति						
ग्राम पंचायत की पत्रावली में रख ली है एवं ग्राम पंचायत के रजिस्टर के पृष्ठ संख्यापर क्र.संपर नाम दर्ज कर लिया है। फोटो सहित मूल आवेदन (प्रपत्र—1) एवं सलंग्न दस्तावेजों को पंचायत समिति में						
अतिक्रमण का स्थल नहीं हैं। प्रार्थी का फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते है।						
(भूमिहीन पात्र लाभार्थियों की स्वीकृती जारी कर आवासीय भूमि उपलब्ध करानें की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। अपात्र के लिए लाल स्याही से मोटे अक्षरों में नोट अंकित कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करें)						
हस्ताक्षर टैग अधिकारी	हस्ताक्षर ग्राम सेवक पदेन सचिव					
(पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी, एईएन, जेईएन, जेटीए, ग्राम रोजगा सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी)	(नाम) <u>र</u> सील					
सहायक आदि अन्य राजकाय कमचारा / आधकारा) नाम व पद						
111 4 14						
कार्यालय पंचायत समिवि	 計					
	तेवर्ग जातिवर्ग					
निवासी ग्राम	ग्राम पंचायत पंचायत समिति					
जिला	SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांकके आवेदन					
पत्र एवं ग्राम सेवक की प्राप्त रिपोर्ट, मूल आवेदन (प्रपत्र–1) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार पर						
योजना के अन्तर्गत राशि रूं की अनुदान सहायता की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा						
प्रदान की जाती है। मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर Registration कर दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली						
में रख लिये गये है एवं पंचायत समिति के रिकार्ड व	रजिस्टर में विवरण दर्ज कर लिया है ।					
क्रमांकः / दिनांक						
	विकास अधिकारी					
	पं. सं					
नोट :						

2. पंचायत समिति द्वारा स्वीकृति के साथ महात्मा गांधी नरेगा की मस्टररोल जारी की जावेगी एवं कार्य शुरू करने के पश्चात् प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि के तत्काल बाद न्यूनतम 25 वर्ग मीटर

1. आवेदक के अपात्र पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त कर आवेदक को सूचित जावेंगा।

प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण कार्य अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा।

## (उपयोगिता प्रमाण पत्र) प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र

പ്പാട്ടി	शी / शीमनी		गनी /गत	ਰ	ਰੀ ( <del>ਹਜ਼</del> ਤ	<del></del>	<del></del>
		SECC-2011					
		जिला परिषद / पंचाय		-			
		के द्वार					
-		5 इनके `` ० :					
		में दिनांक्		•			
		क को				•	-
		र अतिकमण का स्था	न नहीं है। नवीन	आवास का निर्मा	ण 25 वर	र्ग मीटर में	कुसी
स्तर तक प	पूर्ण कर लिया ग	ाया है।					
इस प्रका	र प्रथम किश्त	की अनुदान सहायता	राशि का पूर्ण उ	पयोग कर लिया र	ाया है। र	अतः लाभार्थ	र्गि को
द्वितीय कि	श्त जारी करने	की अनुशंषा की जात	ी है। निर्माणाधीन	आवास का Geo T	agged फोट	ग्रे प्रमाणित	किया
जाता है।	उपयोगिता प्रमाप	ण पत्र की एक फोटो	प्रति ग्राम पंचायत	की पत्रावली में र	ख ली है	एवं ग्राम पं	चायत
के रजिस्ट	र के पृष्ट	पर क्र.सं	पर दर्ज कर व्	नुर्सी स्तर तक नव्	ग निर्मित	आवास के	साथ
लाभार्थी क	ग फोटो सहित	उपयोगिता प्रमाण प	त्र पं.स. में दिनांक	जको जम्	ग करवाई	जा रही ह	हैं एवं
		त जारी स्वीकृति के व्र					
	भ्गतान हेत् ज	मा करा दिया है।					
				हस्ताक्षर ग्राम सेवक /	,		
	बिाइल आवास एप के Geo Tagged फोटो ३			हस्ताबर ग्राम संपर्क / अधिकृत टैग अधि		वल राजकीय	I
	ये जाने पर फोटो चि			अधिकारी / कर्मचारी)	•		
<del></del>	आवश्यक नही र्जी स्तर तक नव निर्मित	2000 A		(नाम	)		
साथ	लाभार्थी का फोटो (साइर	ज— 6 इंच		सील दिनांक			
	4 इंच) ग्राम सेवक द्वारा		<<				
<u> </u>		ारी राजकीय अधिकारी /ं केया जावेगा।	कमचारा नहा हान पर	र उक्त प्रमाण पत्र ग्रा	म सवक प	दन साचव द्व	ारा
	71(9119(1 1)	4741 OII44II					
कार्यालय पंचायत समिति							
श्र	ो / श्रीमती	पिता / पति	जा	ति वर्ग		निवासी ग्रा	ाम
ग्र	ाम पंचायत	पंचायत स	मेति	जिला	SECC-20	)11 वरीयता	सूची
कमांक के द्वितीय किश्त हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ग्राम सेवक की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर							
मूल आवेदन (प्रपत्र–3) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार परयोजना के अन्तर्गत आदेश							
कुमांक / दिनांक के द्वारा जारी राशि रू के उपरान्त द्वितीय किश्त की राशि रू							
जारी करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर प्रविष्टि कर							
दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली में रख लिये गये है एवं पंचायत समिति के रेकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज							
कर लिया							
				<del>[a.</del>	ग्रस अधि	कारी	
க்சுர்க் 🖊	दिनांक				गास आधः <del>1</del>		
नोट :— द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि से अधिकतम 4 माह की अविध में							

पूर्णता प्रमाण-पत्र का भौतिक	प्रपत्र—24(3) प्रपत्र —3 पूर्णता प्रमाण पत्र) तृतीय किश्त हेतु सत्यापन				
यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी श्री/श्रीमती	पुत्र / पत्नी secc-2011 वरीयता सूची कमांक क्रमांकदिनांक के द्वारा दान सहायता राशि रूपये इनके बचत स्थान में दिनांक नेत्र (प्लिंथ ऐरिया) में नवीन आवास का निर्माण को भौतिक सत्यापन कर लिया				
का उपयोग कर लिया है। नोट :					
<ul> <li>1. आवास के अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा हैं</li> <li>2. यदि हॉ तो क्या स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं।</li> <li>3. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत भुगतान किये ग अकुशल मानव दिवसों की संख्या</li></ul>	(हॉं / नहीं ) ये मस्टररोल संख्या हस्ताक्षर ग्राम सेवक / अधिकृत टैग अधिकारी (केवल राजकीय अधिकारी / कर्मचारी) (नाम) सील दिनांक				
कार्यालय पंचायत समिति					
श्री/श्रीमती					
कमांकः / दिनांक पं.सं	विकास अधिकारी				